

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के आलोक में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, सरकार के आदेश ज्ञापांक-115(HS)/पटना दिनांक 22.03.2020 के द्वारा बिहार में लॉकडाउन आदेशित किया गया है। मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में अपातकालीन प्रबंधन समूह की बैठक कार्यवाही (अपादा प्रबंधन, विभाग, बिहार सरकार, पटना के ज्ञापांक-1207 एवं 1208 दिनांक 31.03.2020) के आलोक में निम्नलिखित निदेश दिये जाते हैं :—

1. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, सरकार के आदेश ज्ञापांक-115(HS)/पटना दिनांक 22.03.2020 के कंडिका-4 में लॉकडाउन अवधि के दौरान मालवाहक वाहनों के परिचालन की अनुमति दी गयी है तथा शुद्धि पत्र ज्ञापांक 155 (HS) दिनांक 23.03.2020 के कंडिका-3 के उपकंडिका-v में “खाद्य एवं किराने के प्रतिष्ठान” का उल्लेख है, इसमें खाद्य सामग्री के उत्पादन एवं प्रसंस्करण ईकाईयों का उत्पादन भी शामिल रहेगा। उपकंडिका - vi में “फल सब्जियों की दूकानों” का उल्लेख हैं इसमें फल एवं सब्जियों से संबंधित उत्पादन एवं प्रसंस्करण ईकाईयों में उत्पादन में शामिल रहेगा। उक्त आदेश ज्ञापांक 115 (HS) पटना, दिनांक 22.03.2020 के उपकंडिका-viii (पेट्रोल पम्प एवं सी0एन0जी0 स्टेशन) एवं उपकंडिका-ix (एल0पी0जी0 गैस एजेन्सी) को इस आदेश की परिधि से बाहर रखा गया है।
2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में Essential and Non-Essential Goods के आवागमन हेतु अनुमति दी जाती है।
3. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में किराने संबंधित आवश्यक वस्तुओं के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि “Groceries include hygiene products such as hand washes, soaps, disinfectants, body wash, shampoos, surface cleaners, detergents and tissue papers, toothpaste/oral care, sanitary pads and diapers, battery cells, chargers etc”. भी रहेगा।

उपरोक्त आदेश अनुपालन में कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए आवश्यक सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेसिंग), सेनेटाईजेशन एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।


सरकार के सचिव

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- प्र०६—विविध—०४/२०१९ 1525

खाद्य, पटना/दिनांक ०३/०४/२०२०

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी आरक्षी अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, पटना/राज्य स्तरीय समन्वयक आई०ओ०सी०एल० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के सचिव